प्रेषक,

मुख्य अभियन्ता,
लघु सिंचाई विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

सेवा में,

संबंधित अधिशासी अभियन्ता,
लघु सिचाई खण्ड,
उत्तर प्रदेश।

संख्या 790 /ल0सि0/बजट-पी0एम0के0एस0वाई0/2016-17, दिनांक : 16 जून, 2017

विषयः- चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में अनुदान संख्या-13 के अधीन प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना के घटक "Per Drop More Crop"-0ther Interventions (General Category) के अन्तर्गत लेखानुदान के माध्यम से प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपरोक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुये अवगत कराना है कि चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत अनुदान सं0-13 के अधीन प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना के घटक "Per Drop More Crop"-0ther Interventions (General Category) के अन्तर्गत लेखानुदान के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रू0 6433.0 लाख के सापेक्ष भारत सरकार के पत्र सं0 19-7/2016-आर0एफ0एस0-3 दिनांक 25.04.2017 से गत वर्ष की अपर्युक्त धनराशि को पुनर्वैद्य किये जाने के दृष्टिगत शासनादेश सं0 4023/62-2-2017-2/3(29)/2017 दिनांक 13.06.2017 से अवमुक्त धनराशि रू0 11,83,15,000.00 (रूपया ग्यारह करोड़ तिरासी लाख पन्द्रह हजार मात्र) को संलग्न विवरणानुसार निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आवंटित किया जाता है:-

1. आवंटित धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना के घटक "Per Drop More Crop"-0ther Interventions (General Category) के निर्धारित कम्पोनेन्ट पर ही व्यय किया जायेगा अन्य किसी मद/योजना में इसका व्यय अनुमन्य नहीं होगा।
2. प्रश्नगत योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में शासनादेश सं0 1668/62-2-2016 दिनांक 04.07.2016 में निर्गत विस्तृत दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
3. आवंटित की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अधीन किया जाएगा। आवंटित धनराशि को आहरित कर किसी भी दशा में बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0 में नहीं रखा जाएगा।
4. आवंटित धनराशि से किसी भी दशा में अधिक व्यय न किया जायें और व्यय आवंटित धनराशि तक ही सीमित रखा जायें। आपको पुनः स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त अनुदान की प्राप्ति की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय न किया जाये। व्यय में की गयी किसी भी अनियमितता के लिए आहरण एवं वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रुप से जिम्मेदार होगें।
5. यह व्यक्तिगत रुप से सुनिश्चित कर लिया जाये कि आवंटित धनराशि के प्रत्येक बिल पर सही, सम्पूर्ण, मुख्य, लघु, उप तथा विस्तृत लेखाशीर्षक अंकित किया जाये और प्रत्येक बिल के दाहिनी ओर लाल स्याही आयोजनागत शब्द अवश्य लिखा जाये अन्यथा महालेखाकार कार्यालय में बुकिंग में बाधा होगी। आवंटित धनराशि में यदि किसी संशोधन की आवश्यकता हो तो उसकी सूचना मुख्य अभियन्ता(ल0सिं0) को दी जायेगी।

6. आवंटित की जा रही धनराशि का आहरण कोषागार से आवश्यकतानुसार ही किश्तों में किया जायेगा। सी0सी0एल0 प्रणाली के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेश के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

7. आवंटित धनराशि को योजना के अन्तर्गत वर्ष 2016-17 में प्रारम्भ एवं वर्तमान में निर्माणाधीन कुल 162 तालाब पर ही व्यय किया जायेगा। इस धनराशि से नये तालाबों पर कार्य नहीं किया जायेगा।

8. आवंटित की जाने वाली धनराशि के आहरण/व्यय हेतु वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 02.01.2017 एवं शासनादेश दिनांक 20.03.2017 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

9. आवंटित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय का विवरण निर्धारित रूप पत्र पर नीचे अंकित तारीख तक निश्चित रूप से उपलब्ध करायें।

1.	मासिक व्यय विवरण	आगामी माह की 05 तारीख तक
2.	व्ययाधिक्य तथा बचत का अंतिम विवरण	15.12.2017 तक
3.	वर्ष 2017-18 के आवंटन का अंतिम लेखा विवरण(पुनर्विनियोग का प्रस्ताव) यदि कोई हो।	15.02.2018 तक
4.	आवंटन का समर्पण	15.03.2018 तक

नोटः-दिनांक 15.3.2018 के बाद कोई भी समर्पण स्वीकार नहीं किया जायेगा।

इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत अनुदान सं0-13 के अधीन लेखाशीर्षक 4702-लघु सिचाई पर पूँजीगत परिव्यय- 800-अन्य व्यय-12-प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-1201-पर ड्राप मोर क्राप (के060/रा040-के.रा.)-24-वृहत्त निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(आशुतोष चतुर्वेदी)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी,
कृते मुख्य अभियन्ता(ल0सि0)
उत्तर प्रदेश।

संख्याः 790 /ल0सि0/बजट-पी0एम0के0एस0वाई0/2016-17, दिनांकित।

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, लघु सिचाई एवं भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0 शासन के उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 13.06.2017 के कम में।
2. स्टाफ आफिसर/अधीक्षण अभियन्ता,(कार्यकम/अनुश्रवण) मुख्यालय।
3. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता,लघु सिंचाई वृत्त उत्तर प्रदेश।
4. जिलाधिकारी,संबंधित जनपद।
5. महालेखाकार,उत्तर प्रदेश,इलाहाबाद को तीन प्रतियों में।

(आशुतोष चतुर्वेदी)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी,
कृते मुख्य अभियन्ता(ल0सि0)
उत्तर प्रदेश।

चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत अनुदान सं0-13 के अधीन लेखाशीर्षक 4702-लघु सिचाई पर पूँजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-12-प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना-1201- पर ड्राप मोर क्राप (के060/रा040-क+ रा) -24 -वृहत्त निर्माण कार्य-में आवंटित धनराशि का विवरण।

क्र0 सं0	जनपद	अवमुक्त धनराशि	आवंटित की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4
1	मेरठ	23.86	23.86
2	बागपत	58.71	58.71
3	गाजियाबाद	17.47	17.47
4	गौतमबुद्ध नगर	9.78	9.78
5	बुलन्दशहर	90.31	90.31
6	हापुड़	1.38	1.38
7	सहारनपुर	23.41	23.41
8	मुजफ्फरनगर	56.09	56.09
9	शामली	9.77	9.77
10	आगरा	31.81	31.81
11	मथुरा	110.56	110.56
12	फिरोजाबाद	6.10	6.10
13	मैनपुरी	5.25	5.25
14	हाथरस	13.46	13.46
15	एटा	11.04	11.04
16	कासगंज	8.07	8.07
17	मुरादाबाद	4.19	4.19
18	अमरोहा	44.42	44.42
19	रामपुर	22.42	22.42
20	बिजनौर	5.99	5.99
21	सम्भल	0.00	0.00
22	इलाहाबाद	50.76	50.76
23	कौशाम्बी	70.56	70.56
24	फतेहपुर	17.55	17.55
25	प्रतापगढ़	92.10	92.10
26	गाजीपुर	90.53	90.53
27	सन्त रविदास नगर	53.77	53.77
28	आजमगढ़	0.00	0.00
29	बलिया	15.67	15.67
30	हमीरपुर	90.27	90.27
31	महोबा	15.74	15.74
32	बाँदा	117.64	117.64
33	चित्रकूट	14.47	14.47
	योगः-	1183.15	1183.15

(रू0 ग्यारह करोड़ तिरासी लाख पन्द्रह हजार मात्र)

(आशुतोष चतुर्वेदी)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
कृते मुख्य अभियन्ता(ल0सि0)
उत्तर प्रदेश।